भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/01/2022/एफ0 सी0/1415 दिनांकः 12/01/2022

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में चेलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.602 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/38787/2019)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक –1489/FP/UK/ROAD/38787/2019 दिनांक 15-12-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:–

1. प्रस्तावित मार्ग के के0एम0एल0 फाईल के अवालोकन उपरान्त प्रतीत होता है कि उक्त क्षेत्र में बहुत से पूर्व निर्मित मार्ग उपलब्ध है जिनके बारे में सही जानकारी की अस्पष्टता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह मार्ग पैदल मार्ग है अथवा पक्के मार्ग या इन्हीं मार्गों का उपयोग सम्बन्धित गांवों को जोड़ने मे क्यों नहीं किया जा सकता? इसके अतिरिक्त 'नया संग्रोली' एवं 'रौशीला' गांव पूर्व से मार्ग पर जुड़े हैं। 'नया संग्रोली' गांव प्रस्तावित मार्ग से काफी दूरी पर भी है। साथ ही 'Tyunare' एवं 'Tikkar' ग्राम भी मार्ग से जुड़े हुए प्रतीत होते है।
   अतः आपसे अनुरोध है कि सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले गांवों की सही स्थिति से अवगत करायें तथा लाभान्वित होने वाले गांवों की मुख्य/पक्के मार्ग से दूरी को इंगित करते हुये एक विस्तृत स्पष्टीकरण जो कि IRC के मानकों के अनुरूप प्रस्तावित समरेखण को justify करता हो, इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. पातन होने वाले वृक्षों की गणना सम्भवतः 9 मी0 पर की गयी है। अतः उक्त गणना को 7 मी0 चौड़ाई पर गणना कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. राज्य सरकार सी.ए. हेतु प्रस्तुत के0एम0एल0 तथा डिजिटल मानचित्र में shape की विभिन्नता को दूर करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

17/1/22

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)